

प्रेषक,

मोनिका एस0 गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ
विषय-

जल अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक: 03 मई, 2017

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान संख्या-83(एस0सी0एस0पी0) के अधीन "डा0 राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना" हेतु लेखा अनुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम पाँच माहों हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-448/ल0सिं0/बजट-SCSP/TSP/2017-18, दिनांक 07.04.2017 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 02.01.2017 व दिनांक 20.03.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान सं0-83 (एस0सी0एस0पी0) के अधीन डा0 राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना हेतु लेखा अनुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0-500.00 लाख के सापेक्ष प्रथम पाँच माहो हेतु धनराशि रू0-208.33 लाख (रू0-दो करोड़ आठ लाख तैंतीस हजार मात्र) श्री राज्यपाल आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

- (1) स्वीकृत की जा रही धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत लघु सिंचाई विभाग में एस0सी0एस0पी0 के अधीन डा0 राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना के निर्माण पर व्यय हेतु है।
- (2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल एवं शासन के अस्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाय।

- (3) प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-3938/62-2-2012-2/2(10)/2012, दिनांक 20.11.2012 एवं शासनादेश संख्या-4058/62-2-2012-2/2(10)/2012, दिनांक 14.12.2012 में निर्गत विस्तृत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से आवश्यकतानुसार ही किशतों में किया जाय। सी0सी0एल0 प्रणाली के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (5) अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेशों तथा शासन के अस्थाई नियमों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जाय।
- (6) आपको पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा व्यय अवमुक्त धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। व्यय में की गयी किसी भी अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
- (7) यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय कि अवमुक्त धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही, सम्पूर्ण, मुख्य, लघु, उप एवं विस्तृत लेखा शीर्षक अंकित किया जाय और प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनागत शब्द अवश्य लिखा जाय अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी। अवमुक्त धनराशि में यदि किसी संशोधन की आवश्यकता हो तो उसकी सूचना मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से शासन को दी जायेगी।
- (8) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (9) अवमुक्त धनराशि के समक्ष किए गये व्यय निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार निर्धारित रूप पत्रों में मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायें जायें।
- | | |
|--|--------------------------|
| 1- मासिक व्यय विवरण | आगामी माह की 05 तारीख तक |
| 2- प्रारम्भिक व्याधिक तथा बचत विवरण | 15-10-2017 तक |
| 3- व्ययाधिक तथा बचत का अंतिम विवरण | 15-12-2017 तक |
| 4- वर्ष 2017-18 के आवंटन का अंतिम लेखा विवरण (पुनर्विनियोग का प्रस्ताव) यदि कोई हो | 15-02-2018 तक |
| 5- आवंटन का समर्पण | 15-03-2018 तक |
- नोट :- दिनांक 15-03-2018 के बाद कोई भी समर्पण स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3. तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-83 के अधीन "लेखा शीर्षक-4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-789-अनुसूजित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-08-डा0 राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना-24-वृहत्त निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02.01.2017 तथा कार्यालय ज्ञाप दिनांक 20.03.2017 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।
संलग्नक-यथोक्त।

भवदीया,


(मोनिका एस0 गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या-957(1)/62-2-2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- समस्त अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त।
- 5- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
- 6- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला अधिकारी (विकास)/जिला विकास अधिकारी।
- 7- सम्बन्धित सहायक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग।
- 8- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 9- नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
- 10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
- 11- वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
- 12- बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 13-निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
- 14-एन0आई0सी0 की प्रति।
- 15-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(संजय शुक्ला)
अनु सचिव।